न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

CMS NO.-2024/452

असल नम्बर–109 / 2024

श्रीमति लाडकंवर पत्नी श्री रामचन्द्र जी आयु 59 वर्ष निवासी मकान नं0 4 एम 2 दादाबाड़ी विस्तार योजना कोटा

बनाम प्रार्थी।

अनूप कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र जी निवासी 753 विवेकानन्द नगर कोटा

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

उपस्थिति:– दिनांक: 24/12/24

1.निशा शर्मा प्रार्थीया अधिवक्ता।

2.श्री अविनाश ठाकुर अप्रार्थी अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी अनूप कुमार राजकीय अध्यापक है, एवं उसकी पत्नी नीलम कुमारी तकनीकी शिक्षा प्राप्त है, जो कि स्वरोजगार एवं अन्य साधनो से आय अर्जित करती है, इस प्रकार उक्त प्रत्यर्थी सभी प्रकार से साधन सम्पन्न एवं जीविकोपार्जन करने में तथा अपना जीवनयापन करने की योग्यता रखते है। अनूप कुमार व नीलम का विवाह विच्छेद हो चुका है, तथा वर्तमान में नीलम अपने पिता के साथ निवासरत है, तथा प्रत्यर्थी अनूप भी अपने बच्चो के साथ अन्यत्र निवास करता है, किन्तु प्रत्यर्थी नीलम प्रार्थिया व उसके पति से दुर्भाविकता के कारण उन्हे तंग व परेशान करना चाहती है, और येन केन प्रकारेण प्रार्थिया के घर में घुसने एवं प्रार्थिया व उसके पति को प्रार्थिया व उसके पति के मिल्कीयती मकान से बाहर निकालकर बेदखल कर देने पर आमादा है। प्रार्थिया विधि की पालना करने वाली जिम्मेदार वरिष्ठ नागरिक है, प्रार्थिया के पति भी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में है, प्रार्थिया व प्रार्थिया के नूत्फे से प्रार्थिया को तीन संताने व दो पुत्रिया और एक पुत्र हुआ, उक्त संतानो के प्रति प्रार्थिया व उसके पति ने अपनी समस्त जिम्मेदारी भलीभांति निभाई तत्पश्चात् उक्त संतानो का विवाह यथायोग्य स्तर से कर दिया गया, प्रार्थिया की पुत्रियां अपने अपने ससुराल में सुखपूर्वक निवास कर रही है, किन्तु प्रार्थिया के पुत्र अनूप कुमार बोड जिसका विवाह दिनांक 29.01.2005 को श्रीमती नीलम के साथ सम्पन्न हुआ था, के दाम्पतिक संबंधो में तनाव होने के कारण उक्त विवाह को माननीय न्यायालय परिवारिक न्यायाधीश कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2023 से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर खण्डित कर दिया गया है। विवाह के समय प्रार्थिया का पुत्र अनूप बेरोजगार था, विवाह के पश्चात अनुप की नौकरी लगने पर

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

की पत्नी नीलम प्रार्थिया व उसके पति के साथ दुर्यवहार करने लगी और प्रार्थिया व के पति को अपनी आमदनी के धोंस दिखाकर नीचा दिखाने लगी, स्थिति यहा तक पहुच कि अनूप व नीलम ने प्रार्थिया व उसके पति के मिल्कीयती मकान पर कब्जा करने के प्रयास करना शुरु कर दिया, प्रत्यर्थी की पत्नी के उक्त आचरण से प्रार्थिया के पति मानसिक अवसाद में रहने लगे और उनके स्वास्थ्य में गंभीर गिरावट आ गई जब प्रार्थिया ने प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी को समझाने का प्रयास किया तो उन्होने बहानेबाजी कर अपनी जिम्मेदारियो से पल्ला झाड लिया, यहा तक कि प्रार्थिया व उसके पति के प्रति अपनी विधिक जिम्मेदारियो को निभाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी के उक्त आचरण से आहत होकर प्रार्थिया द्वारा प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी के विरुद्ध याचिका अन्तर्गत घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई जिसे विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 04.01.2019 पारित कर प्रार्थिया के पक्ष में प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी के विरुद्ध स्वीकार करते हुए 15 हजार रुपये प्रतिमाह मासिक भरण पोषण अदा करने एवं प्रार्थिया व उसके पति के मिल्कीयती मकान 4–एम–2 दादाबाडी कोटा को खाली कर पृथक निवास करने के आदेश प्रदान किये उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी अनूप कुमार अपने बच्चो सहित पृथक निवास करने चला गया। इस दौरान पूर्व से ही प्रत्यर्थी की पत्नी अपने पीहर निवास कर रही थी इस प्रकार उक्त आदेश के पश्चात् से प्रार्थिया व उसके पति अपने मिल्कीयती मकान में शांतिपूर्वक निवास करते चले आ रहे है। उक्त अवधि के दौरान अनूप कुमार व नीलम के मध्य भी अनैको मुतभेत पैदा हो गये और उक्त प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न प्रकरण दर्ज करवाये गये जिन पर पश्चात् विचारण सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर पक्षकारान के वैवाहिक सबंध को डिक्री पारित कर विच्छेदित कर दिया गया। प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी के मध्य बढ़ रहे विवाद में बदला लेने की भावना से प्रत्यर्थी नीलम कुमारी ने येन केन प्रकारेण प्रार्थिया के मकान में कब्जा करने की नीयत से लडाई झगडा व मारपीटाई करते हुए प्रार्थिया व उसके पति को डराने धमकाने की कोशिशे की जाने लगी जिससे प्रार्थिया व उसके पति अत्यधिक भयभीत है। प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी के आचरण से प्रार्थिया व उसके पति के जीवन को गंभीर क्षति कारित होने की पूर्ण संभावना हो गई है प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी के आचरण की वजह से प्रार्थिया व उसके पति गंभीर रोगो से ग्रस्त हो गये है तथा हृदय रोग, उच्च रक्तचाप व मधुमेह के कारण प्रार्थिया व उसके पति के स्वास्थ्य में गंभीर गिरावट आ गई है। प्रार्थिया विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के अनुसार प्रार्थिया अपने मिल्कीयती मकान में निबाध रुप से निवास करने एवं जीवन की एकान्तता व सुख शांतिपूर्ण माहौल प्राप्त करने के लिये विधिक रुप से अधिकारी है। प्रत्यर्थी के उक्त कृत्यो से प्रार्थिया वृद्वावस्था में अत्यधिक असहाय हो गई है और प्रार्थिया व उसके परिवार के जीवन की शांति पूर्णतया भंग हो चुकी है। प्रत्यर्थी के कृत्यो धमकियों के कारण प्रार्थिया व उसके पति का जीवन संकटापन्न हो रहा है। प्रार्थिया द्वारा प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी को प्रार्थिया व उसके पति के जीवन की सुख शांति व एकान्तता भंग नही करने का निवेदन करने के बावजूद प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आने के कारण प्रार्थिया के पास माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी प्रार्थिया व उसके पति के जीवन की शांति को भंग ना करें, प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी, प्रार्थिया व उसके पति के साथ गाली – गलौच, मार पीटाई, लडाई झगडा, दुर्व्यवहार ना करे, प्रार्थिया को स्वयं मिल्कीयती परिसर में निवास करने एवं उक्त परिसर में अवैध रुप से अतिक्रमण/कब्जा करने का अवैध प्रयास ना

प्रार्थिया के विधिक अधिकारो के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न ना करें, पुलिस थाना तलवाडी कोटा शहर कोटा के भारसाधक अधिकारी को प्रार्थिया व उसके पति की समुचित सुरक्षा के लिये प्रबंध करने बाबत भी आदेशित किया जावें प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी ऐसा कोई कृत्य स्वयं भी ना करे और ना ही अपने किसी अभिकर्ता के माध्यम से करावें, अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय प्रार्थिया के पक्ष में उचित समझे के आदेश भी प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपने दायित्वों को निभाने के प्रति सदैव सजगता बरती गई, प्रत्यर्थी ने अपनी पत्नी को समझाने के हर संभव प्रयास किये किन्तु प्रत्यर्थी की पत्नी के हिंसक स्वभाव के कारण उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के स्थान पर प्रत्यर्थी को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। प्रत्यर्थी राजकीय सेवा में कार्यरत होने के कारण न चाहते हुये भी पेण्डुलम की स्थिति में आ गया। प्रार्थीया को भयभीत होने की आवश्यकता नही है, विधि के प्रावधानों के अनुसार उन्हे प्रशासन की ओर से समुचित सुरक्षा के संसाधन उपलब्ध करवाये गये है। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना हेतु प्रत्यर्थी तैयार व तत्पर है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत याचिका के संबंध में वांछित सहायता के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश की समुचित पालना करने को प्रत्यर्थी बिना किसी शर्त तैयार व तत्पर है।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। अप्रार्थी द्वारा कथन किया है कि प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत याचिका के संबंध में वांछित सहायता के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश की समुचित पालना करने को प्रत्यर्थी बिना किसी शर्त तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थी प्रार्थिया व उसके पति के जीवन की शांति को भंग ना करें, अप्रार्थी प्रार्थिया व उसके पति के साथ गाली – गलौच, मार पीटाई, लडाई झगडा, दुर्व्यवहार ना करे, प्रार्थिया को स्वयं मिल्कीयती परिसर में निवास करने एवं उक्त परिसर में अवैध रुप से अतिक्रमण/कब्जा करने का अवैध प्रयास ना करे प्रार्थिया के विधिक अधिकारो के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न ना करें, अप्रार्थी ऐसा को कृत्य स्वयं भी ना करे और ना ही अपने किसी अभिकर्ता के माध्यम से करावें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 24/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खु न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा